श्री अनिमेष कुमार पराशर, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के साथ दिनांक 4 जून 2022 को आयोजित बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित प्रमुख बिन्दु

पटना मैंट्रो रेल परियाजना एवं पटना स्मार्ट सिटी के संबंध में

— पटना में मैट्रो रेल परियोजना पर चल रहे निर्माण कार्य में और तेजी लाने की आवश्यकता है जिससे कि यह प्रोजेक्ट ससमय पूरा हो सके । मैंट्रो के प्रारम्भ हो जाने से यह पटनावासियों के लिए लाइफलाइन बन जाएगा एवं यातायात का बोझ कम होग क्योंकि हर साल वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी से सड़क पर दबाव बढ़ता जा रहा है ।

— पटना स्मार्ट सिटी के विभिन्न विभिन्न प्रोजेक्ट पर कार्य होना था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इधर के दिनों में इसके कार्यों की गति धीमी हो गई है अतः हमारा अनुरोध है कि इसके कार्यों में तेजी लाया जाए ।

गंगा घाटों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में

— सभी गंगा घाटों को विकसित एवं सौदर्यीकृत किया जाना चाहिए। दाह—संस्कार के लिए चिह्नित घाटों पर समुचित रूप से सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

— गंगा नदी यहाॅ के पर्यटन उद्योग का एक स्तंभ बन सकता है । गंगा के किनारों का सौन्दर्यीकरण — घाटों पर सिढ़ीयाॅ, पैदल टहलने के लिए रास्तों का निर्माण, लाइटिंग की समुचित व्यवस्था, जल क्रीड़ा के साधन, गंगा के बीच में उभरे टापू का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, सस्ते और भरोसेमंद फेरी का परिचालन की व्यवस्था पटनावासियों के साथ—साथ पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है ।

क्रमशः.........2

<u>नमामी गंगे प्रोजेक्ट का ससमय पूरा करने के संबंध में</u>

— करीब–करीब पूरे पटना में नमामी गंगे प्रोजेक्ट एवं मैट्रो प्रोजेक्ट पर चल रहे कार्य के कारण सड़कों के काटने से सड़कों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है । सड़कों को काटने के बाद कुछ को तो अभी तक भरा भी नहीं गया है । कुछ को भरा भी गया है तो भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क नीचे धस गया है । फलस्वरूप सड़क पर अचानक गड्ढा आ जाने के कारण दुर्घटना भी हो रही है । इसका कोई स्थायी समाधान निकालना नितान्त आवश्यक है ।

गलियों में नमामी गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो खुदाई हुई है उसे भरने की जवाबदेही पटना नगर निगम को दी गयी है परन्तु निगम की ओर से यह बताया जाता है कि फण्ड की अभी कमी है ।

<u>मौर्या लोक तथा अन्य व्यवसायिक प्रांगण में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में</u>

— जैसाकि आपसभी जानते हैं मौर्या लोक पटना का एक सर्वाधिक लोकप्रिय बाजार प्रांगण हैं जिसमें काफी संख्या में विभिन्न प्रकार के दुकानों के साथ–साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कई एक कार्यालय भी अवस्थित हैं परन्तु इसके भवन के साथ–साथ अन्य नागरिक सुविधाएं एवं लिफ्ट तथा सड़क की स्थिति काफी दयनीय होने के कारण काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है । इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

<u>जलजमाव के संबंध में</u>

— पटना के विभिन्न भागों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जानी चाहिए क्योंकि बरसात के समय में हर साल शहर के अनेकों मुहल्लों में जल–जमाव के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

— सड़कों के मरम्मत के कारण हर साल सड़क की उॅचाई बढ़ जाने के फलस्वरूप सारे नए पुराने मकान, ऑफिस, दुकान नीचा होता जा रहा है और वर्षा एवं सिवरेज का पानी घर एवं दूकान के अंदर आ जा रहा है जिससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है ।

क्रमशः.........3

– पटना शहर में बस/टैक्सी/ऑटो रिक्सा/ई–रिक्सा की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती ही जा रही है इसको व्यवस्थित करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । इसके लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए साथ ही चालकों के लिए नाम की पट्टी के साथ वर्दी को अनविार्य बनाया जाना चाहिए ।

– पटना के प्रमख व्यवसायिक स्थलों पर गाड़ियों की पार्किंग के लिये स्थान चिन्हित कर उसका विकास किया जाना चाहिए जिससे कि अधिकाधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था संभव हो सके ।

– पटना के विभिन्न भागों में बने ओवर ब्रीज के नीचे अनाधिकृत रूप से दुकान लगाने के कारण यातायात बाधित होती है । पुलों के नीचे के अवैध कब्जों को व्यवस्थित करने तथा इसे हटाने के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए ।

<u>ट्रान्सपोर्ट नगर के संबंध में</u>

– पटना शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के कारण पटना के करीब–करीब सभी व्यवसायी बाहर से बड़े वाहनों से अपना सामान ट्रान्सपोर्ट नगर में मंगाते हैं और वहॉ से छोटे–छोटे वाहनों के द्वारा अपने–अपने दुकानों तक लाकर उसकी बिक्री करते हैं । ट्रान्सपोर्ट नगर, पटना राजधानी के व्यवसायियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण भंडारण स्थल होने के बावजूद प्रशासनिक अनदेखी की जा रही है । सड़को की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है जिसके कारण वाहन पलट जाने से व्यवसायियों को दोहरा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है । एक ओर तो उनका सामान बर्बाद होता है दूसरी ओर वाहनों के ड्राईवर–खलासी का इलाज भी कराना पड़ता है । अतः अविलम्ब ट्रान्सपोर्ट नगर के सड़को को दुरूस्त किया जाना चाहिए ।

क्रमशः.........4

<u>नक्शा पास होने के संबंध में</u>

— अपार्टमेंट का नक्शा पास नहीं हो रहा है । आपको विदित है कि इस सेक्टर में छोटा–से–छोटा प्रोजेक्ट भी करीब 15-20 करोड़ का होता है और नक्शा पास नहीं होने के कारण भवन निर्माण के उपयोग में आनेवाले कई तरह के सामग्रियों की बिक्री प्रभावित होती है जिसके कारण एक ओर तो सरकार के राजस्व का नुकसान होता है वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग रोजगार से वंचित हो जाते हैं ।

— On line नक्शा File करने के लिए जिन–जिन कंपनियों को अधिकृत किया गया है उन Software Developers की ओर से भवन निर्माताओं की सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क बनाया जाना चाहिए जो उन्हें मार्गदर्शन कर सकें । इसके लिए यदि आवश्यक हो तो Nominal Fee का प्रावधान भी किया जा सकता है ।

— नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में ऐसा महसूस किया गया है कि स्टाफ की कमी भी एक बड़ा कारण है । एक ही स्टाफ को कई प्रकार की जिम्मेवारी दे दी गई है जिससे नक्शा पास कराने का कार्य बाधित हो रहा है । अत: इस कार्य में स्टाफ की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए साथ इसके लिए एक समय–सीमा सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

— कचरा शुल्क को होल्डिंग टैक्स के साथ टैग करने के कारण काफी असुविधा हो रही है क्योंकि एक कॉमर्शियल भवन में छोटे–छोटे कई एक ऑफिसेज हैं जो उपयोग में नहीं हैं या बन्द रहते हैं या स्टोर के रूप में काम में आते हैं जिससे कचरा नहीं निकलता है । उनसे भी कचरा शुल्क लिया जाता है । अत: इस पर विशेष रूप से विचार करते हुए उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है । इसमें होटल भी प्रभावित हो रहे हैं ।

— पटना शहर में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत कुल 77 वार्ड में से प्रथम चरण में 28 वार्ड में जन सुविधा केन्द्र बनना था जिसमें से 9 बन कर तैयार है परन्तु यह Functional नहीं होने के कारण यहॉ पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है । इसको अविलम्ब Functional बनाया जाए जिससे कि लोग इस सुविधा केन्द्र का लाभ उठा सकें ।

क्रमश:.........5

– वार्ड संख्या 52 में साफ–सफाई का कार्य ससमय बहुत ही अच्छे रूप से हो रहा है साथ ही नाले की सफाई भी समय पर हो रहा है परन्तु उसके सामने अशोक राजपथ के दक्षिण वार्ड संख्या 53की स्थिति बहुत ही नरकीय है न तो साफ–सफाई का कार्य किया जाता है ना ही नाले की सफाई समय पर होती है जिसके कारण लोगों को आना–जाना एवं वहॉ पर रहना दुश्वार हो गया है ।

– सड़कों के नाम की पट्टी, सभी सड़कों के आरंभ एवं अंतिम छोर पर लगाइ जानी चाहिए ताकि पटना से बाहर के आगन्तुकों को सुविधा हो ।

– निगम के सभी कार्यालयों एवं अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण का कार्य त्वरित रूप से किया जाना चाहिए । जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण कम्प्यूटरीकृत कर On Line Certificatesजारी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए इससे व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा ।

– पटना नगर निगम की शाखा कार्यालय सभी वार्डों में स्थापित किया जाना चाहिए। जिसमें पटना नगर निगम / नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

– शहरी क्षेत्रों एवं सड़कों से आवारा पशुओं, सुअरों एवं कुत्तों इत्यादि को दूर रखने की नितांत आवश्यकता है। ऐसे जानवर लोगों को अत्यधिक कष्ट पहुँचाते है, गंदगी बढ़ाते है एवं महामारी के कारक होते हैं ।

– शहर की अधिकांश सड़कों पर विचरण करनेवाले जानवरों एवं पशुओं पर लगाम कसने या उन्हें पकड़कर कॉजी हाउस में बन्द करने जैसी व्यवस्था होनी चाहिए । जिससे कि इन जानवरों की वजह से आय दिन होनेवाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके ।

क्रमशः.........6

– निगम द्वारा पटना नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र को ODF++ घोषित करते हुए खुले में शौचालय/मूत्र विसर्जन एवं खुले नाले/मेन हॉल में सिल्ट का निस्तारण के लिए दण्ड शुल्क का प्रावधान किया गया है परन्तु इसका सख्ती से अनुपालन नहीं होने के कारण यह क्रियाएं जारी है ।

– पटना नगर निगम के सभी वार्डो में फौगिंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । गलियों में मोटर साईकिल एवं साईकिल से फौगिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जहॉ तक फौगिंग का चार चक्का वाहन जाते हैं वहॉ तक फौगिंग करने के बाद वापस चले जाते है जिससे इसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है ।

– ऐसा देखा जा रहा है कि Property Tax के काफी मामले लंबित चल रहे हैं । अतः पटना नगर निगम की ओर से वैसे मामलों के निपटारा हेतु OTS योजना लाया जाना चाहिए । इससे पटना शहर के नागरिकों को तो राहत मिलेगा ही निगम को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी ।

पटनावासियों को सहज रूप से Property Tax (सम्पति–कर) जमा करने हेतु प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से व्यवस्था की जाए तो यह काफी कारगर सिद्ध होगा । घर की औरतें भी अपने वार्ड में जाकर सहज रूप से समय पर Property Tax जमा कर देंगी । यदि प्रतिदिन आदमी रखना संभव नहीं हो तो कम–से–कम सप्ताह में किसी एक दिन तय करके इसकी सूचना से वार्ड के लोगों को अवगत करा दिया जाए ।

– यह प्रशंसनीय है कि पटना नगर निगम की ओर से पटना के कुछ भागों में कचरे का प्रोसेसिंग इकाई लगायी गयी है । पटना की जन संख्या को ध्यान में रखते हुए कचरे की प्रोसेसिंग हेतु अधिकाधिक संख्या में मशीन की खरीद की जानी चाहिए । इसमें निजी भागीदारी से भी सहयोग लिया जा सकता है ।

क्रमशः.........7

– निगम की ओर से कचरा उठाने की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है परन्तु ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग कचरा को कूड़ेदान में नहीं रखकर इधर–उधर फेंक कर चले जाते हैं । अत: वैसे स्थानों को चिन्हित करके CCTV लगाया जाना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए ।

– कचरा उठाव का जो शुल्क निर्धारित किया गया है उसमें व्यवसायिक कार्यालय,छोटे–छोटे दुकान एवं गोदाम सबके लिए एक ही दर निर्धारित किया गया है जो उपयुक्त प्रतित नहीं होता है । छोटे–छोटे दुकान एवं गोदाम जो की कभी कभार खुलता है उस पर कचरा शुल्क में रियायत दिया जाना चाहिए ।

– नगर निगम की ओर से जल जमाव से निपटने के लिए रात में मॉकड्रील करने की घोषणा स्वागत् योग्य है । बरसात प्रारम्भ होने से पूर्व सभी मेन हॉल और कैचपिट के मरम्मत का कार्य आवश्यक रूप से पूरा हो जाए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

– बिड़ला मंदिर से बारी पथ एवं ठाकुरबाड़ी तक अधिकतर जाम की समस्या बनी रहती है । यहॉ पर पटना का मुख्य व्यावसायिक केन्द्र है । दिन में यहॉ पर 4 Lane में Vending Zone पर दुकाने लगी रहती है जिससे 60 फीट का रोड 20 फीट से कम हो जाता है । जिससे यहॉ पर व्यवसाय के समय में भंयकर जाम की समस्या बनी रहती है जिससे यहॉ पर व्यावसाय प्रभावित होता है । यहॉ पर Vending Zone को एक Line में व्यवस्थित करने की जरूरत है । इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में PIL भी डाला गया जिसमें Commercial Complex के सामने दुकाने नहीं लगाया जा सकता है । इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है । Vending Zone को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ।

– पटना नगर निगम को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वारी पथ एवं बिड़ला मंदिर तक गंभीर जाम एवं अतिक्रमण से संबंधित परिवाद लाया जाता है तो उक्सर कहा जाता है कि अतिक्रमण हटा दिया गया है । पर समस्या जस की तस बनी रहती है । इस पर तुरंत कारवाई करने की जरूरत है ।

क्रमश:.........8

– शहर में मुख्य सड़कों पर जैसे न्यू मार्केट, हथुआ मार्केट आदि अवैध रूप से अतिक्रमण करके ठेला तथा अन्य प्रकार की दुकाने लगाई जा रही है । इसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति रहती है । सड़क पर बने वाहनों की पार्किंग वाली जगह पर भी अवैध दुकानों का कब्जा है, जिसके कारण वाहन चालक अपने वाहन की पार्किंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं स्थाई दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है ।

– समाचार–पत्रों के माध्यम से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि बायोमीट्रिक उपस्थिति में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी गायब मिले हैं । निगम के कार्यों में तेजी लाने के लिए इस प्रकार का पहल प्रशंसनीय है । पटना के सभी वार्डों में इस प्रकार की जॉच निरन्तर होती रहनी चाहिए ।

– बिहार नगरपालिका अधिनियम 2017 की धारा 342 के अन्तर्गत पटना नगर निगम विभिन्न व्यापारियों से व्यापार अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र (अनुसूची – एक) आमंत्रित कर उन आवेदक व्यापारियों को व्यापार अनुज्ञप्ति जारी करती है । विगत छ: माह में कई मामलों में यह पाया गया है कि व्यापारियों द्वारा जमा किए गए आवेदनों का निष्पादन नहीं हो रहा है । कुछ मामलों में जहॉ निष्पादन प्रक्रिया में है, वहॉ या तो निष्पादन अति धीमी गति पर है जिसके कारण व्यापारियों को परेशानी हो रही है । अत: एक निश्चित समय सीमा के अन्दर व्यापारियों को अनुज्ञप्ति प्राप्त हो सके इसकी समुचित व्यवस्था यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ।

– न्यू मार्केट के अतिक्रमण को हटाया जाए । पुल के निचले हिस्से को पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है परन्तु वहॉ पर अतिक्रमण कर सामान बेचे जाने के कारण वहॉ पर गाड़ी पार्किंग करना असंभव है ।

– न्यू मार्केट में 2010 में ग्रील लगाकर भेंडिग जोन बनाया गया था परन्तु वेंडर ग्रील के अन्दर सामान रखने लगे और उसके बाहर ठेला पर सामान बेचने लगे जिसके कारण जाम

क्रमशः.........9

लगने लगा । साल 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने उस ग्रील को हटाने का आदेश दिया है । अत: यदि पुन: इस प्रकार की व्यवस्था निगम की ओर से किए जाने का प्रस्ताव है तो उस पर गहन विचार कर लिया जाए ।

– वार्ड नं 54 में पीने के पानी का घोर संकट है यहाॅ पर यथाशीघ्र पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

– मैकडोवेल गोलम्बर से बाजार समिति एवं बाजार समिति से बहादुरपुर गुमटी की तरफ के सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गयी है जिसके कारण वाहनों के आवागमन में काफी असुविधा हो रही है ।

– एक्जीविशन रोड हई कम्पलेक्स के पास रोड पर ही अतिक्रमण कर गाड़ियों को खड़ाकर फिटिंग का कार्य किया जाता है जिससे यातायात बाधित होती है । जमाल रोड एवं पीरमुहानी में भी अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होती है ।

****

<u>पटना</u>
<u>दिनांक : **04-06-2022**</u>